प्राचार्य की कलम से

प्रो0 प्रमोद कुमार
प्राचार्य

नव सत्रारम्भ पर मैं जनपद के समस्त जन प्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, नागरिकों, अभिभावकों, छात्र / छात्राओं, महाविद्यालय के प्राध्यापकों और कर्मचारियों का स्वागत, अभिनन्दन और वन्दन करता हूँ। विगत सत्र में आपके सहयोग और समर्थन के लिए आप सभी को हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद। विगत सत्र में अनिच्छा से ही सही कुछ अप्रिय एवं कठोर निर्णय महाविद्यालय एवं छात्रों के हितों की रक्षा के लिए जनहित में लेने पड़े। प्रशासनिक कारणों से जनहित में ऐसे निर्णय अनिवार्य हो जाते हैं पर, मेरी विवशता को देखते हुए आप मुझे क्षमा करेंगे, ऐसा विश्वास है।मैं इस क्षेत्र की सम्मानित जनता से, जनगणमन से, अभिभावकों से निवेदन करता हूँ कि आप अपने पाल्य को, अपने अनगढ़ बच्चों को महाविद्यालय में केवल जानने के लिए नहीं उत्तरोत्तर सीखने के लिए मेरे पास भेजें। जानने और सीखने की प्रक्रिया में अन्तर है एवं सीखने के लिए विनम्रता आवश्यक है। अनुशासन को अस्वीकार करने वालों के लिए महाविद्यालय में कोई स्थान नहीं है। यदि अनुशासन और शालीनता स्वीकार न हो तो प्रवेश के लिए आवेदन न करें। इस पर कोई भी समझौता किसी भी दशा में नहीं किया जा सकता।

यह निवेदन करना भी अपना कर्म समझता हूँ कि यह महाविद्यालय राजकीय है। इसका नियमन और संचालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, महामहिम राज्यपाल/ कुलाधिपति, उ0प्र0, तथा अपर मुख्य सचिव उच्च शिक्षा उ0प्र0 शासन के नियमों / उपनियमों / निर्देशों के अनुसार होता है। शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज दूसरे स्वत्वाधिकारी एवं संरक्षक है। प्राचार्य का दायित्व अपार पर उसकी शक्तियाँ सीमित हैं। महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष का पद रिक्त है। कुल 28 प्राध्यापकों के सापेक्ष वर्तमान में मात्र 17 प्राध्यापक ही कार्यरत हैं। बजट आदि का व्यवस्था शासन से होती है। प्राध्यापकों नियुक्तियाँ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से होती हैं। महाविद्यालय में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी का स्टाफ भी कम है। ऐसी दशा में महाविद्यालय के संचालन का अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। महाविद्यालय का सुव्यवस्थित एवं सुचारू संचालन आपके सहयोग और सम्बल के बिना असम्भव है। हमारे पास साधन सीमित हैं। प्राचार्य संसाधनों की माँग कर सकता है, पूर्ति और नियुक्ति नहीं कर सकता है। संसाधनों की कमी और पूर्ति महाविद्यालय स्तर पर किसी भी दशा में प्राचार्य स्तर पर सम्भव नहीं है। इन सभी स्थितियों को संज्ञान में रखकर ही प्रवेश हेतु आवेदन करें। नियुक्ति एवं संसाधनों की पूर्ति के सम्बन्ध में, मैं आपको महाविद्यालय स्तर से कोई आश्वासन नहीं दे सकता, मैं केवल शासन से अनुरोध कर सकता हूँ। संसाधन उपलब्ध कराना शासन का कार्य एवं दायित्व है।

सीमित संसाधनों के साथ तथा सीमित शक्तियों के साथ नियमों से महाविद्यालय का संचालन, इसको सजाने, सँवारने एवं विकास की ओर ले जाने के लिए आपके सहयोग और सम्बल की महती आवश्यकता है। आपका भरपूर सहयोग ही महाविद्यालय को विकास की मजबूती प्रदान करेगा।

इन्ही शब्दों के साथ मैं आप सबका नए सत्र में पुनः-पुनः स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ।

प्राचार्य
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
ओबरा सोनभद्र

आवेदन से पूर्व ध्यान दें

01. अभ्यर्थी ने जिस संकाय में इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा स्नातक में जिस संकाय से परीक्षा उत्तीर्ण की है स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं में उन्हीं संकायों में प्रवेश पर विचार किया जायेगा। अन्य संकाय के अभ्यर्थी आवेदन ऑनलाइन करने से पूर्व भली प्रकार से सोच विचार कर लें तभी फार्म ऑनलाईन भरें।

02. समस्त नियमों का सावधानीपूर्वक ध्यान से अध्ययन, मनन एवं चिन्तन करें। सभी नियम एवं शर्तें स्वीकार होने पर ही प्रवेश हेतु आवेदन करें। हम आपकी किसी भी शर्त को उदण्डता समझेंगे एवं अनुशासनहीनता को किसी स्तर पर किसी भी दशा में स्वीकार नहीं करेंगे। सभी कक्षाओं में उपस्थिति 75 प्रतिशत से अधिक होनी आवश्यक है।

03. किसी प्रकार की शिकायत, सुझाव एवं संशय के निवारण के लिए छात्र शिकायत प्रकोष्ठ में अपने अभिभावक / संरक्षक के साथ मिलें। यदि आपकी समस्या, सुझाव, शिकायत पर यह प्रकोष्ठ ध्यान नहीं देता है, आपके हितों की अनदेखी करता है तभी अन्तिम विकल्प के रूप में प्राचार्य से सम्पर्क करें पर, आपके आभिभावक का आपके साथ होना आवश्यक है।

04. अपनी शिकायतों, समस्याओं, सुझावों आदि के लिए केवल प्रस्तर दो में वर्णित समिति के सदस्यों से ही सम्पर्क करें। किसी छात्र / छात्रा / बाहरी व्यक्ति की मदद कदापि न लें अन्यथा आपके दुरूपयोग की पूरी सम्भावना है। इसके लिए आपका प्रवेश तक निरस्त किया जा सकता है और इसके लिए महाविद्यालय परिवार उत्तरदाई नहीं होगा। यह आपकी स्वयं की जिम्मेदारी है।

आज्ञा से
प्राचार्य

पाठ्य - विषय

महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के निर्धारित नियमानुसार महाविद्यालय में स्नातक स्तर पर NEP 2020 के अनुसार सेमेस्टर/ त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विषयों के अध्ययन की व्यवस्था है :-

(क) बी0ए0 के लिए (वैकल्पिक विषय)

1. हिन्दी
2. अंग्रेजी
3. संस्कृत
4. मध्य कालीन एवं आधुनिक इतिहास
5. राजनीति विज्ञान
6. अर्थशास्त्र
7. समाजशास्त्र
8. शारीरिक शिक्षा

कला-संकाय में प्रवेशार्थियों हेतु विषय-पुन्जों का विवरण-

कला-संकाय में आवेदन करने वाले समस्त प्रवेशार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि NEP 2020 के अनुसार अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो भागों में विभाजित किया गया है-

1. समाज विज्ञान संकाय
2. भाषा विज्ञान संकाय

1. <u>समाज विज्ञान संकायः-</u> इस संकाय में पांच विषय हैं-

(क) समाजशास्त्र
(ख) राजनीति विज्ञान
(ग) अर्थशास्त्र
(घ) मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास
(ङ) शारीरिक शिक्षा

2. <u>भाषा विज्ञान संकायः-</u> इस संकाय में तीन हैं-

(क) हिन्दी
(ख) अंग्रेजी
(ग) संस्कृत

बी.ए. प्रथम सेमेस्टर वर्ष में प्रवेश हेतु विषय चयन के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देशः-

1. कोई भी प्रवेशार्थी बी.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने हेतु विषय चयन करते समय यह ध्यान रखेगा कि तीनों मुख्य विषयों में से सामाजिक विज्ञान संकाय के पाँच विषयों- (i) समाजशास्त्र, (ii) राजनीति विज्ञान (iii) मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, (iv) अर्थशास्त्र (v) शारीरिक शिक्षा में से एक साथ कोई दो / तीन विषय ले सकता है। दो विषय लेने की दशा में तीसरा विषय उसे भाषा विज्ञान संकाय के तीन विषयों- (i) हिन्दी, (ii) अंग्रेजी, (iii) संस्कृत में से कोई एक लेना होगा।
2. भाषा विज्ञान संकाय के तीन विषयों के समूह में से एक साथ तीनों मुख्य विषय के रूप में नहीं लिये जा सकते हैं, जैसे हिन्दी, संस्कृत एवं अंग्रेजी एक साथ नहीं ले सकते।

3. विषय चयन करते समय यह भी ध्यान रखना होगा कि निम्नांकित विषय युग्मों में से कोई एक विषय ही लिया जा सकता है-
    - समाजशास्त्र अथवा शारीरिक शिक्षा में से कोई एक
    - राजनीति विज्ञान अथवा हिन्दी में से कोई एक
    - अर्थशास्त्र अथवा अंग्रेजी में से कोई एक
    - मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास अथवा संस्कृत में से कोई एक
4. विषय आवंटन पूरी तरह से उस विषय में उपलब्ध सीटों की संख्या पर निर्भर करता है।

प्रत्येक विषय में सीटों की संख्या विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित है इसलिए सम्बन्धित विषय में सीट रिक्त रहने एवं विषय आवंटन हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार ही प्रवेशार्थी को विषय आवंटित किया जा सकेगा। सम्बन्धित विषय में सीट रिक्त न रहने पर प्रवेशार्थी को उपलब्ध विषयों में निर्धारित शर्तों के अनुसार दूसरा विषय आवंटित किया जा सकता है। यह पूर्णतः प्रवेश समिति के निर्णयाधीन होगा।

(ख) बी0एस0सी0 के लिए (वैकल्पिक विषय)

1. गणित वर्ग-

1. भौतिक विज्ञान
2. गणित
3. रसायन विज्ञान

2. **जीव विज्ञान वर्ग-**

1. वनस्पति विज्ञान
2. प्राणि विज्ञान
3. रसायन विज्ञान

3. **वाणिज्य वर्ग - बी.काम.**

स्नातक **कक्षा में प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि नई शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020) के अनुसार अध्ययन का प्रारूप् निम्न प्रकार है-**

1. नई शिक्षा नीति में सेमेस्टर प्रणाली लागू है।
2. कुल 6 सेमेस्टर होंगे।
3. प्रथम चार सेमेस्टर में कौशल विकास (Skill Development) का एक-एक पेपर होगा।
4. सभी सेमेस्टर में सह-पाठ्यक्रम (Co-curricular) का एक-एक पेपर होगा जिसकी परीक्षा वस्तुनिष्ट प्रणाली में होगी।
5. द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर में माइनर इलेक्टिव का एक पेपर होगा, जो कि दूसरे संकाय का होगा।
6. प्रथम, तृतीय व पंचम सेमेस्टर में लिखित परीक्षा होगी।
7. द्वितीय, चतुर्थ षष्ठ सेमेस्टर मे वस्तुनिष्ठ प्रणाली में परीक्षा होगी।
8. सभी पेपर में (सहगामी- Co-curricular) को छोड़कर मिड टर्म परीक्षा होगी।

स्नातकोत्तर के सभी संकायों एवं उसके विषयों में नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत सेमेस्टर प्रणाली आधारित पाठ्य-पाठन होगा और यह कुल चार सेमेस्टर का होगा। सभी स्नातकोत्तर विषयों में आन्तरिक मूल्यांकन (Internal Assessment)- 25 अंक एवं वाह्य मूल्यांकन (External Assessment) 75 अंक का होगा।

स्नातकोत्तर स्तर पर (एम.ए.)

1. हिन्दी
2. मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास
3. समाजशास्त्र
4. राजनीति विज्ञान
5. अर्थशास्त्र

स्नातकोत्तर स्तर पर (एम.एस-सी.)

1. भौतिक विज्ञान
2. रसायन विज्ञान
3. प्राणि विज्ञान

स्नातकोत्तर स्तर पर एम.कॉम-

1. कुल चार सेमेस्टर होंगे।
2. प्रथम सेमेस्टर में चार अनिवार्य पेपर होंगे।
3. द्वितीय सेमेस्टर में दो अनिवार्य व दो वैकल्पिक पेपर होंगे।
4. तृतीय सेमेस्टर में दो अनिवार्य व दो वैकल्पिक पेपर होंगे।
5. चतुर्थ सेमेस्टर में तीन-तीन पेपर का तीन ग्रुप (लेखांकन व वित्त, विपणन एवं मानव संसाधन प्रबन्ध) होगा, जिसमें से विद्यार्थी को एक ग्रुप का चयन करना होगा।
6. सभी सेमेस्टर में छात्र-छात्राओं को विभाग से शीर्षक (Topic) ले कर सर्वे रिसर्च रिपोर्ट दो प्रतियों में तैयार करना होगा।
7. माइनर इलेक्टिव की परीक्षा प्रथम या द्वितीय सेमेस्टर में होगा, जो कि प्रवेश के समय दूसरे विभाग से विद्यार्था को चयन करना होगा।
8. अन्तिम सेमेस्टर में मौखिक परीक्षा होगी।

सामान्य नियम एवं निर्देश

आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें-

1. हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षाओं के अंक-पत्रों एवं प्रमाण-पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
2. स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की उत्तीर्ण परीक्षाओं के अंक पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
3. अन्य शौक्षिक योग्यताओं के प्रमाण—पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
4. अन्तिम विद्यालय / महाविद्यालय से प्राप्त स्थानान्तरण प्रमाण—पत्र (टी.सी.) की मूल प्रति साक्षात्कार के समय देना होगा।
5. **(अ)** अन्तिम विद्यालय / महाविद्यालय के प्रधानाचार्य / प्राचार्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र (सी.सी.) की मूल प्रति साक्षात्कार के समय देना होगा।
   (ब) अर्ह परीक्षा के उत्तीर्ण होने के **बाद दो वर्ष तक** के अन्तराल वाले अभ्यर्थी को 10 रूपये के स्टाम्प पर नोटरी का प्रद्त्त शपथ पत्र तथा अन्तराल समय का किसी राजपत्रित अधिकारी / एम.पी. / एम.एल.ए. / एम.एल.सी./ नगर पालिका या टाउन एरिया अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण—पत्र की मूल प्रति
6. खेल निदेशालय द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र की प्रति।
7. **(अ)** एन.सी.सी. के 'सी' अथवा 'बी' प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
   (ब) एन.एस.एस. के प्रमाण—पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति।
   (स) स्काउट गाइड / रोवर / रेंजर्स के प्रमाण—पत्र की छायाप्रति।
8. यदि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र / पुत्री / पौत्र हो, तो सम्बन्धित प्रमाण—पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
9. यदि राजकीय महाविद्यालय, उच्च शिक्षा निदेशालय उ.प्र., क्षेत्रीय कार्यालय उ.शि. में कार्यरत किसी कर्मचारी के पुत्र / पुत्री / भाई / बहन हो, तो सम्बन्धित प्रमाण—पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।
10. यदि प्रवेशार्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो नवीनतम जाति प्रमाण—पत्र की छायाप्रति अभिप्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. सामान्य वर्ग के वे अभ्यर्थी जो 'आर्थिक रूप से कमजोर' (EWS) हैं उन्हें कमजोर वर्ग का लाभ तभी मिलेगा, जब वे EWS प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करेंगे।
12. दिव्यांग का प्रमाण—पत्र (मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त)- दिव्यांगता प्रतिशत 60% या 60% से अधिक
13. विस्थापन का प्रमाण—पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा यदि विस्थापित हों।
14. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र / पुत्री / नाती / पौत्र के लिए जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण—पत्र पर ही आरक्षण का लाभ मिलेगा।

टिप्पणी—

1. आवेदन पत्र के साथ अधिभार / आरक्षण पाने के लिए सम्बन्धित प्रमाण—पत्र की छायाप्रति लगाना अनिवार्य है। इसके अभाव में अभ्यर्थी को उक्त सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। शुल्क मुक्ति में छूट प्राप्ति हेतु भी आरक्षण प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

प्रवेश सम्बन्धी नियम

01. कला वर्ग में प्रवेश हेतु इण्टर उत्तीर्ण कला वर्ग के अभ्यर्थियों को ही प्रवेश मिलेगा।
स्थान रिक्त होने की दशा में अन्य वर्ग यथा—वाणिज्य, विज्ञान एवं व्यावसायिक वर्ग के अभ्यर्थियों के आवेदन पर भी विचार किया जा सकता है।

02. इण्टरमीडिएट / स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दो वर्ष से अधिक का अन्तराल (गैप) होने पर प्रवेश सम्भव नहीं होगा। अन्तराल का आकलन आवेदित कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्ह परीक्षा में उत्तीर्ण वर्ष से किया जायेगा। एक / दो वर्ष अन्तराल वाले अभ्यर्थी को नोटरी से सम्बन्धित वर्ष का शपथ—पत्र बनवाकर प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी का शपथ—पत्र झूठा पाया गया तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी। अन्तराल वर्ष के लिए किसी राजपत्रित अधिकारी / एम.पी. / एम.एल.ए. / एम.एल.सी. / नगर पालिका या टाउन एरिया अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त नवीनतम चरित्र प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा।

03. **स्नातक/ स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों का एक वर्ष का अन्तराल होने पर प्राप्त प्राप्तांकों में से 5% व दो वर्ष का अन्तराल होने पर 10% अंकों की कटौती कर मेरिट बनायी जायेगी।**

04. उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों से माध्यमिक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों के आवेदन पत्र पर उत्तर प्रदेश से माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अर्ह प्रवेशार्थियों के प्रवेश के उपरान्त स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश पर विचार करना सम्भव हो सकेगा।

05. परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा किसी भी कारण से परीक्षा छोड़ देने वाले विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में अथवा अन्य संकाय की कक्षा में या संकाय बदल कर भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। तथ्य छुपाकर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और शुल्क भी वापस नहीं किया जायेगा।

06. बी.ए, बी.काम. तथा बी.एस-सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इण्टरमीडिएट परीक्षा में उत्तीर्ण होना न्यूनतम अर्हता है, जिसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि सभी को प्रवेश दिया जायेगा। सीट की उपलब्धता के आधार पर मेरिट के क्रम से नियमानुसार ही प्रवेश दिया जायेगा।

07. बी.काम. प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट में वाणिज्य विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी को सर्वप्रथम प्रवेश दिया जायेगा। सीट रिक्त होने की दशा में इण्टरमीडिएट अर्थशास्त्र / गणित / वाणिज्यिक विषयों से उत्तीर्ण व्यावसायिक वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रवेश पर विचार किया जा सकता है।

08. स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद दो वर्ष से अधिक का अन्तराल होने पर **स्नातकोत्तर** में प्रवेश सम्भव नहीं होगा। अन्तराल का आंकलन आवेदित कक्षा में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्ह परीक्षा में उत्तीर्ण वर्ष से किया जायेगा। एक / दो वर्ष अन्तराल वाले अभ्यर्थी को नोटरी से सम्बन्धित वर्ष का शपथ पत्र बनवा कर प्रस्तुत करना आवश्यक है। यदि किसी अभ्यर्थी का शपथ पत्र झूठा पाया गया तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही होगी।

09. उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों के आवेदन पत्र पर उत्तर प्रदेश से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण वाले अर्ह प्रवेशार्थियों की अनुपलब्धता पर स्थान रिक्त होने पर ही विचार करना सम्भव हो सकेगा।

10. (अ) संकाय अथवा विषय बदल कर स्नातकोत्तर कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी परीक्षा एक बार विद्यार्थी उत्तीर्ण कर चुका है। तथ्य छुपाकर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा और शुल्क भी वापस नहीं होगा।
(ब) किसी कक्षा में प्रवेश लेकर उसकी परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने अथवा परीक्षा छोड़ देने वाले (किसी भी कारण से) विद्यार्थी को पुनः उसी कक्षा में अथवा अन्य विषय की कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

11. शासन द्वारा निर्धारित प्रवेश आरक्षण के नवीनतम नियमों का पालन किया जायेगा।

12. **(क)** एम.ए. में प्रवेश के लिए बी.ए. में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। उत्तीर्णता के आधार पर योग्यता क्रम में प्रवेश पर विचार किया जायेगा, किन्तु उत्तीर्णता का तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि उन्हें प्रवेश प्राप्त हो ही जायेगा। समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की मेरिट बनाने पर साक्षात्कार पश्चात् / श्रेष्ठताक्रम में निर्धारित सीटें भरी जायेंगी। स्नातकोत्तर कक्षा के